Rcms No:-2019/00080 31/10/19 14/11/19 28/11/19

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

निशार पुत्र उस्मान जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास दाहा 14 मेवात हरियाणा — सरकार

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या 23 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10.10.19	प्रार्थी निशार पुत्र उस्मान की ओर से वकील श्री अजीज खान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार ने पुलिस थाना, परबतसर के पत्रांक 4451 दिनांक 09.10.2019 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल हो। संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, नागौर को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाकर एफ.आई.आर. नम्बर 215/2019 पुलिस थाना, परबतसर अपराध अन्तर्गत राजस्थान (ऊंट का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यान निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 धारा 5/8 व पशुओ के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 धारा 11(1)(डी)(ई) प्रकरण में जप्तसुदा 15 ऊंट व ऊंटनीयों को मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक ऐजेन्सी को सुपुर्द करने बाबत नागौर जिले में ऐसी कोई ऐजेन्सी हो तो उसका विवरण इस न्यायालय को तारीख पेशी 11.10.2019 को भिजवाने का लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 11.10.2019 को पेश हो। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर	
11-10-19	वकील प्रार्थी उपस्थित। अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार उपस्थित एवं संयुक्त निदेशक डॉ0 सी.आर. मेहरड़ा पशुपालन विभाग नागौर। गत आदेशिका दिनांक 10.10.2019 की पालना में संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग नागौर ने अपने पत्रांक–5431 दिनांक 10.10.2019 से ऊंट व ऊंटनीयों की देखभाल से संबंधित कोई संस्था नहीं होना अवगत कराया है। उक्त पत्र शा0मि0 हो। वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि एफ.आई.आर. नम्बर 215/2019 पुलिस थाना, परबतसर अपराध अन्तर्गत राजस्थान (ऊंट का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यान निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 धारा 5/8 व पशुओ के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 धारा 11(1)(डी)(ई) प्रकरण में जप्त सुदा 8 ऊंट व 8 ऊंटनी अपने रिश्तेदार साले महबुब पुत्र रमजान के थे। उनके नाम से ही पशु मेला रवानगी चिठ्ठी कटी हुई है। पुलिस थाना, परबतसर द्वारा उक्त प्रकरण में समस्त अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अब उन्हे ऊंट व ऊंटनीयों की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त ऊंट व ऊंटनीयों का प्रार्थी मालिक है व मालिक को रोजमर्रा के दैनिक कार्य हेतु आवश्यकता है तथा थाने में खडे रहने से ऊंट व ऊंटनीयों के भुख व प्यास से मर जाने की पूर्ण आशंका होने का कथन करते हुए उक्त जब्तसुदा ऊंट व ऊंटनीयों को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर छोडने का निवेदन किया है।	

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर
फौ० विविध प्रार्थनापत्र सं. 23/2019 निशार बनाम सरकार

11.10.19

अप्रार्थी सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार व संयुक्त निदेशक डॉ0 सी.आर. मेहरड़ा पशुपालन विभाग नागौर ने बहस में कथन किया कि प्रकरण संख्या 215/19 पुलिस थाना, परबतसर प्रकरण में जप्तसुदा 16 ऊंट व ऊंटनीयों मे से एक ऊंटनी का थाना परिसर में चारा पानी व रखरखाव की व्यवस्था के अभाव के कारण दिनांक 07.10.2019 को मृत्यु हो गई तथा उक्त ऊंट व ऊंटनीयों को अस्थायी रूप से श्री अयुब को सुपुर्द किये हुए है। जिसने आज दिनांक तक ऊंट व ऊंटनीयों के चारा पानी व रखरखाव हेतु बीस हजार रूपये खर्च हो चुके है व श्री अयुब अब आगे रखने को तैयार नहीं है। उक्त ऊंट व ऊंटनीयों मे से तीन–चार ऊंट व ऊंटनीयां बीमार होने का कथन करते हुए जप्तसुदा 15 जीवित ऊंट व ऊंटनीयों के निस्तारण का निवेदन करते हुए नियमानुसार अभियुक्त को उक्त जब्तशुदा ऊंट व ऊंटनीयां सुपुर्द नहीं की जा सकती।

श्री सोनू कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी वार्ड नं. 10 6 एमएसआर गंगानगर ने दिनांक 09.10.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त प्रकरण में जप्त सभी ऊंटो को वाद के विचारण और अन्तिम निपटारे तक समुचित भरण पोषण हेतु सिरोही स्थित पिपुल्स फॉर एनिमल्स में भेजने का निवेदन किया है। प्रार्थी सोनू आज उपस्थित नहीं है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। रिकार्ड का अवलोकन किया। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर उक्त जब्तशुदा 15 ऊंट व ऊंटनीयों की देखभाल व चारा पानी की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी निशार पुत्र उस्मान को दो–दो लाख की दो मौतबिर जमानत व सुपुर्दगीनामा इस शर्त के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना परबतसर के समक्ष पेश करे कि प्रार्थी अनुसंधान व न्यायालय की अन्वीक्षा के दौरान जब कभी भी उक्त ऊंट व ऊंटनीयों की आवश्यकता होगी या तलब किये जावेगे तो पेश करेगा व ऊंट व ऊंटनीयों को किसी को विक्रय, खुर्द बुर्द व वध नहीं करेगा। थानाधिकारी परबतसर को यह भी निर्देश दिये जाते है प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानतनामा एवं सपुर्दगीनामा की तस्दीक कर इस न्यायालय को भिजवायेगें तथा उक्त जप्त ऊंट व ऊंटनीयों की विडियोग्राफी करवाकर केस डायरी में सलग्न रखेगा व उक्त जप्त 15 ऊंट व ऊंटनीयों की पहचान बाबत पशु पालन विभाग के चिकित्सा अधिकारी से टेग लगाकर तथा मामले के निस्तारण तक प्रार्थी निशार पुत्र उस्मान को अन्तरिम रूप से अस्थाई तौर पर उक्त शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। रसीद सुपुर्दगी की न्यायालय हाजा में पेश करे एवं छोड़े गये ऊंट व ऊंटनीयों राजस्थान से बाहर ले जोने से प्रतिबंधित होने बाबत यदि कोई राज्य सरकार के आदेशों हो तो ऐसे आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना परबतसर को निर्देश दिये जाते है। आदेश की प्रति पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना परबतसर को भिजवाई जावे। पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्ति हेतु दिनांक 31.10.2019 को पेश हो।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला मजिस्ट्रेट नागौर

Scanned by CamScanner

31.10.19

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में आदेश दिनांक 11.10.19 को पारित किया जा चुका है, तथा उक्त आदेश SHO parbatsar से पालना रिपोर्ट होने हेतु पत्रावली आज नियत की हुई है। SHO PS परबतसर से पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः पुनः लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 14.11.19 को पेश हो।

कलक्टर, नागौर

14/11/19

पत्रावली पेश हुई। गत आदेशिका दिनांक 31/10/19 अनुसार पुनः पालना होकर पत्रावली दिनांक 28/11/19 को पेश हो।

कलक्टर, नागौर

28/11/19

पत्रावली पेश। APP द्वारा आदेश दिनांक 11.10.19 की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार पारित आदेश जब्तशुदा ऊंट ऊंटनियों प्रार्थी निसार को सुपुर्द किये जा चुके हैं। अब प्रकरण में कोई पालना शेष नहीं है। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(दिनेश कुमार यादव)
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 17:01:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: